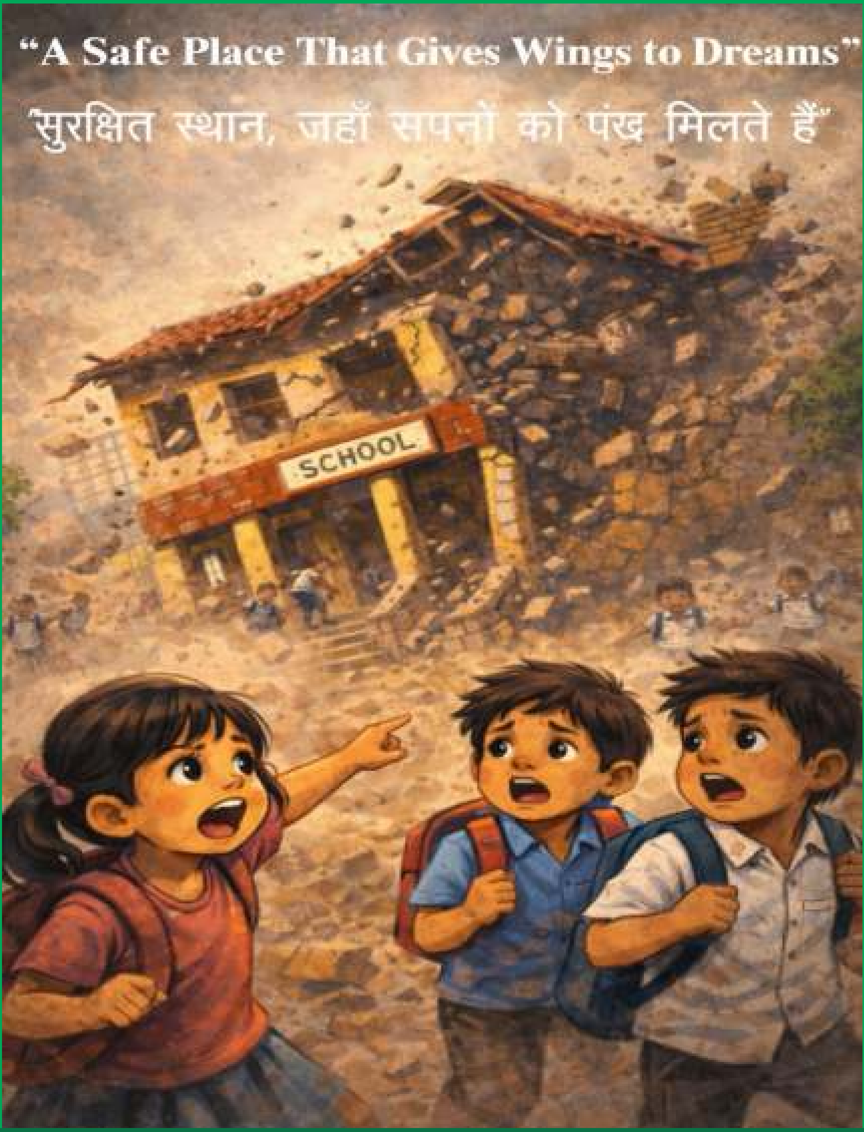

Speak Up for Your Rights, Stand Strong for Your Safety.
No Child Should Be Unsafe Where Education Happens.

अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाओ,
अपनी सुरक्षा के लिए मज़बूती से खड़े रहो।
जहाँ शिक्षा होती है, वहाँ कोई बच्चा असुरक्षित नहीं होना चाहिए।

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
राजस्थान उच्च न्यायालय
एवं
कार्यकारी अध्यक्ष
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) द्वारा बच्चों के अधिकारों और जागरूकता अभियान से संबंधित विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। इन पुस्तिकाओं का उद्देश्य बाल अधिकारों, सुरक्षा, संरक्षण तथा विधिक सहायता के विषय में सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि बच्चे स्वयं को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के प्रति जागरूक हो सकें।

आज के तीव्र परिवर्तनशील सामाजिक और डिजिटल परिवेश में यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों को स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन के साथ–साथ ऐसी बुनियादी जानकारी भी दी जाए जो उन्हें सजग, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करे। जागरूकता ही सुरक्षा का प्रथम और सबसे सशक्त आधार है। जब बच्चे अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता तंत्रों के बारे में जानते हैं, तो वे भय या संकोच के बिना सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

यह पुस्तिकाएँ बाल–केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरल और सहज भाषा में तैयार की गई हैं। इनमें बच्चों की सुरक्षा, उचित आचरण, डिजिटल सावधानियाँ, कानूनी संरक्षण तथा सहायता प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उद्देश्य यह है कि जानकारी केवल पढ़ी ही न जाए, बल्कि समझी भी जाए और आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार में लाई जा सके।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सदैव बच्चों के कल्याण और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह प्रकाशन उसी सतत प्रयास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो विधिक साक्षरता को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने और बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण के निर्माण की दिशा में समर्पित है।

मैं इस श्रृंखला की तैयारी में जुड़े सभी अधिकारियों और सहयोगियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिकाएँ बच्चों के साथ–साथ अभिभावकों, शिक्षकों और संरक्षकों के लिए भी उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होंगी। आशा है कि यह पहल राज्य भर में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उनके लिए सुरक्षित, संवेदनशील और समर्थ वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

(न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा)

हरि ओम अत्री

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

बच्चे एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला हैं, और उनके अधिकारों तथा सुरक्षा के प्रति जागरूकता उनके समग्र विकास और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पुस्तिका विशेष रूप से बच्चों के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और विधिक संरक्षण के विषय में सरल एवं स्पष्ट जानकारी प्रदान करना है। आयु–उपयुक्त और आश्वस्तकारी ढंग से बच्चों को संवेदनशील बनाना उन्हें आत्मविश्वास, गरिमा और विधि द्वारा उपलब्ध सुरक्षा उपायों के प्रति स्पष्ट समझ के साथ आगे बढ़ने में सहायक होता है।

इस पुस्तिका को सावधानीपूर्वक इस प्रकार रूपांकित किया गया है कि आवश्यक विधिक अवधारणाओं को सरल, सुगम और बाल–मैत्रीपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जिससे बाल–पाठक इसकी विषयवस्तु से सहज रूप से जुड़ सकें। बच्चों के हितों को प्रभावित करने वाले विषयों से उन्हें परिचित कराते हुए यह प्रकाशन सजगता, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त सहायता तंत्र का समय पर उपयोग करने की प्रेरणा देता है।

यह पुस्तिका माननीय न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में तैयार की गई है, जिनकी दूरदृष्टि विधिक जागरूकता और न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करने, विशेषतः बच्चों तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए, निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रही है।

तत्पश्चात् इस सामग्री को सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत रूप प्रदान करने में सुश्री अनुभूति मिश्रा, उप सचिव, सुश्री कोमल मोटियार, उप सचिव तथा सुश्री रश्मि नवल, उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके सूक्ष्म परिश्रम, उत्कृष्ट समन्वय और संस्थागत प्रतिबद्धता विशेष प्रशंसा के पात्र हैं।

मैं इस पहल से जुड़े सभी अधिकारियों एवं सहयोगियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूँ तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वर्तमान में सेवारत सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके सतत् समर्पण, निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ सेवा के कारण ही ऐसी जनोन्मुखी पहलें साकार रूप लेती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके सामूहिक प्रयासों से यह पुस्तिका बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं संरक्षकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होगी और उन्हें अधिक सुरक्षित एवं जागरूक भविष्य की दिशा में अग्रसर करेगी।

(हरि ओम अत्री)

Introduction

Imagine you are sitting in your classroom writing your exam answers. Suddenly, the roof cracks loudly. Plaster falls on your head. Bricks begin to fall down. Your desk breaks. The walls start shaking and friends begin screaming.

In Jhalawar, Rajasthan (July 2025), in a similar incident, 7 children died and 8 other children were injured due to a roof collapse. This is a failure of school infrastructure dangerous buildings, lack of toilets, unsafe playgrounds which harm children every day.

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 provides for safe school buildings, toilets, drinking water, and playground facilities. If schools violate safety standards, the Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA) / District Legal Services Authority (DLSA) provide free legal assistance. This chapter explains that a safe school is your right and how you can seek help when a school building becomes unsafe for you.

➢ What is meant by School Infrastructure?

School Infrastructure: School infrastructure does not only mean buildings, but all the facilities necessary for safe, inclusive, and quality education. This includes classrooms, toilets, drinking water, playgrounds, laboratories, libraries, boundary walls, ramps for accessibility, and all safety-related arrangements.

Merely constructing buildings is not sufficient: Good infrastructure standards ensure children's health, safety, learning environment, and retention in school.

➢ What is RTE Act?

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act) ensures that every child between 6–14 years has the right

परिचय

कल्पना कीजिए कि आप अपनी कक्षा में बैठकर परीक्षा के उत्तर लिख रहे हैं। तभी अचानक छत ज़ोर से चरमराती है। प्लास्टर आपके सिर पर गिरता है। ईंटें नीचे गिरने लगती हैं। आपकी डेस्क टूट जाती है। दीवारें हिलने लगती हैं और दोस्त चिल्लाने लगते हैं।

झालावाड़, राजस्थान (जुलाई 2025) में ऐसी ही एक घटना में छत गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु हो गई और 8 अन्य बच्चे घायल हो गए। यह स्कूल अवसंरचना की विफलता का उदाहरण है खतरनाक भवन, शौचालयों की कमी, असुरक्षित खेल मैदान जो प्रतिदिन बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) सुरक्षित स्कूल भवन, शौचालय, पेयजल और खेल मैदान उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। यदि स्कूल सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं, तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं।

यह अध्याय बताता है कि सुरक्षित स्कूल आपका अधिकार है, और जब स्कूल भवन आपकी जान के लिए खतरा बन जाए, तो आप सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

➢ स्कूल अवसंरचना से क्या तात्पर्य है?

स्कूल अवसंरचना (School Infrastructure) का अर्थ केवल इमारतें नहीं, बल्कि वे सभी सुविधाएँ हैं जो सुरक्षित, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक होती हैं। इसमें कक्षाएँ, शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, चारदीवारी, पहुँच-योग्यता के लिए रैम्प तथा सुरक्षा से जुड़े सभी प्रबंध शामिल हैं।

केवल निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है— उत्तम अवसंरचना मानक बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सीखने के वातावरण और विद्यालय में उनके बने रहने (Retention) को सुनिश्चित करते हैं।

➢ आरटीई अधिनियम क्या है?

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, अनिवार्य, सुरक्षित एवं

to free, compulsory, safe, and quality education.

➢ **How Does the RTE Act Help Students?**

It makes education a legal right, not a favour.

Following are some ways in which the RTE Act helps students:

1. Right to Admission

- Every child has the right to admission in a neighbourhood school.
- No child can be denied admission due to lack of documents.
- No screening test or interview is allowed at the time of admission.
- Private schools must reserve 25% seats at entry level for children from disadvantaged and weaker sections.

2. Right to Free Education

- No tuition fees or charges can be collected in government schools.
- Free textbooks, uniforms, and essential learning materials must be provided.
- A child cannot be expelled or detained until completion of elementary education.

3. Right to Safe School Infrastructure

- Safe and strong school buildings.
- Separate toilets for girls and boys.
- Clean and safe drinking water.
- Playground and boundary walls for safety.
- Barrier-free access for children with disabilities.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।

➢ आरटीई अधिनियम छात्रों की कैसे सहायता करता है?

यह शिक्षा को एक कानूनी अधिकार बनाता है।

निम्नलिखित कुछ तरीके हैं जिनसे आरटीई अधिनियम छात्रों की सहायता करता है:

1. प्रवेश का अधिकार

- प्रत्येक बच्चे को निकटवर्ती विद्यालय में प्रवेश का अधिकार है।
- दस्तावेजों की कमी के कारण प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता।
- प्रवेश के समय कोई परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जा सकता।
- निजी विद्यालयों में 25% सीटें वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

2. निःशुल्क शिक्षा का अधिकार

- सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार की फीस नहीं ली जा सकती।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
- प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चे को निकाला या रोका नहीं जा सकता।

3. सुरक्षित विद्यालय अवसंरचना का अधिकार

- सुरक्षित एवं मजबूत विद्यालय भवन।
- लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय।
- स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल।
- खेल मैदान एवं चारदीवारी।
- दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा-मुक्त प्रवेश।

4. Right to Qualified Teachers

- Proper teacher-student ratio must be maintained.
- Teachers must be trained and qualified.
- Teachers cannot engage in private tuition during school hours.

5. Protection from Harassment and Discrimination

- No physical punishment or mental harassment is allowed.
- No discrimination based on caste, gender, religion, disability, or economic status.
- Every child must be treated with dignity and respect.

6. Role of School Management Committee (SMC)

- Parents are members of the School Management Committee.
- The SMC monitors school safety, infrastructure, and use of funds.
- Parents can raise complaints regarding unsafe buildings or lack of facilities.

➢ Why RTE Is Important ?

The RTE Act empowers children and parents. If these rights are violated, complaints can be made to the School Authorities, DLSA/RSLSA, or Childline 1098.

4. योग्य शिक्षकों का अधिकार

- उचित शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखना आवश्यक है।
- शिक्षक प्रशिक्षित एवं योग्य होने चाहिए।
- शिक्षक विद्यालय समय में निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते।

5. भेदभाव और उत्पीड़न से संरक्षण

- शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- जाति, लिंग, धर्म, दिव्यांगता या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- प्रत्येक बच्चे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

6. विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की भूमिका

- अभिभावक विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं।
- समिति विद्यालय की सुरक्षा, अवसंरचना और निधियों की निगरानी करती है।
- असुरक्षित भवन या सुविधाओं की कमी पर शिकायत की जा सकती है।

➢ आरटीई क्यों महत्वपूर्ण है?

आरटीई अधिनियम बच्चों और अभिभावकों को सशक्त बनाता है। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो विद्यालय प्राधिकरण, DLSA/RSLSA या 1098 चाइल्डलाइन में शिकायत की जा सकती है।

What are the provisions under Section 19 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009?

The main national law related to school infrastructure is the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Sec 19 lays down specific standards for school infrastructure, which governments are required to comply with.

➢ Key Infrastructure Requirements under the Act:

- **All-weather classrooms:** Schools must have classrooms that are safe and usable in all weather conditions.
- **Barrier-free access:** Facilities must be accessible to children with disabilities.
- **Separate toilets for girls and boys:** To ensure dignity, privacy, and hygiene.
- **Safe drinking water:** Every school must have a provision for clean and safe drinking water.
- **Library facilities:** Availability of reference materials and books.
- **Adequate teachers:** Although related to human resources, it is directly connected to the number of classrooms and effective functioning of the school.
- **Playground/open space:** Physical activities are essential for the overall development of children.

Note- These standards are legally enforceable, and it is the responsibility of the Central and State Governments to ensure compliance.

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 19 के अंतर्गत क्या प्रावधान हैं?

स्कूलों की अवसंरचना से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय कानून निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 है। धारा-19 स्कूल अवसंरचना के लिए विशेष मानक निर्धारित करता है, जिनका पालन सरकारों द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

➢ अधिनियम के तहत अवसंरचना की प्रमुख आवश्यकताएँ

- **हर मौसम में उपयोग योग्य कक्षाएँ (All-weather classrooms):** विद्यालय में ऐसी कक्षाएँ हों जो सभी ऋतुओं में सुरक्षित एवं उपयोग योग्य हों।
- **बाधा-मुक्त पहुँच (Barrier-free access):** दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय परिसर और कक्षाएँ सुगम एवं सुलभ हों।
- **लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय:** गरिमा, सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु पृथक शौचालयों की व्यवस्था हो।
- **सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था:** प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो।
- **पुस्तकालय सुविधा:** विद्यालय में संदर्भ सामग्री, पुस्तकें एवं अध्ययन संसाधन उपलब्ध हों।
- **पर्याप्त शिक्षक:** निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार पर्याप्त शिक्षक नियुक्त हों।
- **खेल मैदान/खुली जगह:** बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल एवं शारीरिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान हो।

नोट: ये सभी मानक कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों का दायित्व है कि इनका पालन सुनिश्चित करें।

What are the risks of unsafe school infrastructure?

- **Collapse of roof/walls:** Broken roofs and weak pillars can cause immediate fatalities.
- **Toilet-related issues:** In the absence of separate toilets for girls, they may avoid drinking water, leading to dehydration and even fainting.
- **Injuries in playgrounds:** Uneven ground and absence of boundary fencing may cause serious injuries, and children may even fall onto nearby roads.
- **Electric shocks:** Exposed wires and hanging fans may lead to burns or even death.
- **Contaminated water:** Unhygienic hand pumps/taps can cause stomach infections and the spread of diarrhea, affecting hundreds of children.

What is the importance of good school infrastructure?

Good school infrastructure is very important because:

1. It provides a safe and healthy environment for children.
2. It helps students concentrate better on their studies.
3. It reduces the dropout rate and increases school attendance.
4. It contributes to the overall physical, mental, and social development of children.
5. It reduces the school dropout rate and increases attendance.
6. It promotes physical, mental, and emotional development.
7. It ensures equal opportunities for all children, especially girls and children with disabilities.
8. A well-equipped school makes learning enjoyable and effective.

➢ असुरक्षित स्कूल अवसंरचना के जोखिम

- **छत/दीवार गिरना:** कमजोर निर्माण या जर्जर भवन गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।
- **शौचालयों की अनुपलब्धता:** विशेषकर बालिकाओं के लिए शौचालय न होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **खेल मैदान में चोट:** असमतल भूमि या सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में बच्चों को गंभीर चोट लग सकती है।
- **बिजली का खतरा:** खुले तार, खराब स्विच या लटकते पंखे जानलेवा हो सकते हैं।
- **दूषित जल:** गंदे जल स्रोतों से संक्रामक रोग फैल सकते हैं, जिससे अनेक बच्चे प्रभावित हो सकते हैं।

➢ अच्छी स्कूल अवसंरचना का महत्व

अच्छी विद्यालयी अवसंरचना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि—

1. यह बच्चों को सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है।
2. यह विद्यार्थियों को पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है।
3. इससे विद्यालय त्याग (ड्रॉपआउट) दर कम होती है और उपस्थिति बढ़ती है।
4. यह बच्चों के समग्र शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में सहायक होती है।
5. इससे स्कूल छोड़ने की दर कम होती है और उपस्थिति बढ़ती है।
6. यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देती है।
7. यह सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है, विशेषकर लड़कियों और दिव्यांग बच्चों के लिए।
8. एक अच्छी सुविधा वाला स्कूल पढ़ाई को आनंददायक और प्रभावी बनाता है।

➢ How does unsafe infrastructure affect children and families?

- **Physical harm:** Falling in the playground may cause fractures. Falling plaster from the roof may cause head injuries. Contaminated water may cause stomach illnesses. Electric shocks during rains may result in burns.
- **Psychological impact:** Fear of sitting under a damaged roof. Anxiety during rainy weather. Due to the shame of not having proper toilets, girls may drop out of school.
- **Educational loss:** When classrooms are closed, children study under trees in extreme heat. Examinations may be missed. Dreams of completing Class 10 may be shattered.
- **Family distress:** Parents may take loans to send their children to private schools or give up daily wages to ensure their children attend "safe" classrooms. There is constant fear while sending children to school.

➢ What are the warning signs and how to stay safe?

Warning signs of dangerous school infrastructure:

- Cracks in walls/roofs; falling plaster or paint
- Leaking roofs; waterlogging inside classrooms
- Broken glass; sharp edges of iron or glass
- Absence of girl's toilets or toilets that are dirty/locked
- Exposed electrical wires; hanging fans
- Uneven playgrounds; deep pits; absence of boundary walls
- Unhygienic hand pumps; lack of RO/purified drinking water

➢ असुरक्षित अवसंरचना बच्चों और परिवारों को कैसे प्रभावित करती है?

- **शारीरिक नुकसान:** खेल मैदान में गिरने से पैर टूटना। छत से प्लास्टर गिरने से सिर में चोट आना। खराब पानी से पेट की बीमारी। बारिश में करंट से जलना।
- **मानसिक असर:** टूटी छत के नीचे बैठने का डर। बारिश के समय चिंता। शौचालय न होने की शर्म के कारण लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं।
- **शिक्षा का नुकसान:** कक्षाएँ बंद होने पर बच्चे गर्मी में पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। परीक्षा छूट जाती है। कक्षा 10 के सपने टूट जाते हैं।
- **परिवार की परेशानी:** माता-पिता प्राइवेट स्कूलों के लिए कर्ज लेते हैं या बच्चों को "सुरक्षित" कक्षाओं में छोड़ने के लिए मजदूरी छोड़ते हैं। बच्चों को स्कूल भेजते समय लगातार डर बना रहता है।

➢ चेतावनी संकेत क्या हैं और सुरक्षित कैसे रहें?

खतरनाक स्कूल अवसंरचना के चेतावनी संकेत:

- दीवार/छत में दरारें, प्लास्टर/पेंट गिरना
- छत का टपकना, कक्षा के अंदर पानी भरना
- टूटे शीशे, लोहे/काँच के नुकीले किनारे
- लड़कियों के शौचालय न होना या शौचालय का गंदा/बंद होना
- खुले बिजली के तार, लटकते पंखे
- असमान खेल मैदान, गहरे गड्ढे, चारदीवारी न होना
- गंदे हैंडपंप, RO/शुद्ध पानी न होना

➢ Daily safety measures:

- Never sit under a damaged roof or near falling plaster.
- Immediately inform a teacher about broken glass or exposed metal.
- Use toilets only if they are clean; inform the Principal if they are locked.
- Never touch exposed wires or wet plugs.
- Play only on level and even playgrounds.
- Drink water only from safe and approved sources.
- If the school appears unsafe, inform your parents.

➢ What to do in an emergency:

- If the roof starts cracking: Immediately move towards an open ground area.
- In case of electrical sparks: Do not touch any switches or water sources nearby.
- In case of a fight/accident: Inform a teacher or call the police at 112.
- In case of a health issue: Go to the nearest clinic and inform them that "the school is unsafe."

➢ Legal Provisions

- Legal provisions related to unsafe school infrastructure.
- Section 19 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009: Provides norms and standards for school infrastructure.

➢ हर दिन सुरक्षित रहने के उपाय:

- टूटी छत के नीचे या गिरते प्लास्टर के पास कभी न बैठें।
- टूटे काँच/लोहे के बारे में तुरंत शिक्षक को बताएं।
- शौचालय साफ हो तभी उपयोग करें; बंद होने पर प्राचार्य को बताएं।
- खुले तार या गीले प्लग को कभी न छूएं।
- खेल सिर्फ समतल मैदान में खेलें।
- पानी केवल सुरक्षित स्रोत से पिएँ।
- यदि स्कूल असुरक्षित लगे तो माता-पिता को जरूर बताएं।

➢ आपातकाल में क्या करें:

- छत चटकने लगे: तुरंत खुले मैदान की ओर भागें।
- बिजली की चिंगारी: स्विच/पानी के पास कुछ भी न छूएं।
- लड़ाई/दुर्घटना: शिक्षक/पुलिस 112 पर कॉल करें।
- स्वास्थ्य समस्या: नजदीकी क्लिनिक जाएँ, बताएं "स्कूल असुरक्षित है"।

➢ कानूनी प्रावधान

- असुरक्षित स्कूल अवसंरचना से जुड़े कानूनी प्रावधान।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 19: स्कूल के मानक और अवसंरचना के लिए नियम प्रदान करती है।

- Section 75 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act (JJ Act): Causing injury to a child due to negligence is punishable with imprisonment up to 3 years and fine.
- Article 21 of the Constitution of India: Guarantees the right to a safe educational environment.

➢ What is the role of RSLSA/DLSA in ensuring school safety?

- To spread awareness about children's right to safe education.
- To assist parents and children in filing complaints against unsafe schools.
- To ensure compliance with laws such as the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.
- To provide legal aid in cases of negligence causing injury to children.
- Providing legal aid in cases involving negligence causing injury to children. Filing Public Interest Litigation (PIL) in cases of violation of the Act.
- Providing compensation for medical treatment of injured children and assisting them in continuing their education.
- Children/parents can file complaints free of charge. Advocates represent the child before the Child Welfare Committee.
- 1098 Childline Helpline: Upon receiving a complaint regarding school safety, the inspection process is initiated immediately.

- धारा 75, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (JJ Act): लापरवाही से बच्चे को चोट पहुँचाना = 3 वर्ष की कैद + जुर्माना।
- अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान: सुरक्षित शिक्षा वातावरण का अधिकार।

➢ स्कूल सुरक्षा सुनिश्चित करने में RSLSA/DLSA की भूमिका क्या है?

- बच्चों के सुरक्षित शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना।
- असुरक्षित स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में माता-पिता और बच्चों की मदद करना।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 जैसे कानूनों के पालन को सुनिश्चित कराना।
- बच्चों को चोट पहुँचाने वाली लापरवाही के मामलों में विधिक सहायता देना। अधिनियम उल्लंघन पर जनहित याचिका (PIL) दायर करना।
- घायल बच्चों के इलाज का खर्च और शिक्षा जारी रखने में सहायता।
- बच्चे/अभिभावक निःशुल्क शिकायत कर सकते हैं। वकील बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 1098 चाइल्डलाइन हेल्पलाइन :स्कूल सुरक्षा की शिकायत पर तुरंत निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है।

➢ How Can Children Seek Assistance?

If you feel that the school building is unsafe:

Step 1:

- Immediately inform the Principal/teacher.
- Take photographs of wall cracks or broken toilets.

Say:

> **“This building is dangerous. Immediate repairs must be carried out, or RSLSA/DLSA should be informed.”**

Step 2:

- Inform your parents and the School Management Committee (RTE School Management Committee).
- Under the Act, they are legally responsible. They can stop classes in unsafe classrooms.

Step 3:

- Call 1098 Childline (24/7 toll-free).
- Inform them: “The school roof is hanging loose. The playground is unsafe. There are no toilets.”
- A team conducts an inspection within a few days.

Step 4:

- File a complaint before the DLSA (District Legal Services Authority).
- Advocates may send legal notices and demand immediate repairs or shifting of classes.

➢ बच्चे सहायता कैसे ले सकते हैं?

यदि आपको स्कूल की इमारत असुरक्षित लगती है:

पहला कदम:

- तुरंत प्राचार्य/शिक्षक को बताएं।
- दीवार की दरार, टूटे शौचालय की फोटो लें।

कहें:

"यह इमारत खतरनाक है। तुरंत सुधार करें या RSLSA/DLSA को बुलाएँ।"

दूसरा कदम:

- माता-पिता + स्कूल प्रबंधन समिति (RTE School Management Committee) को बताएं।
- अधिनियम के तहत वे कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं। वे असुरक्षित कक्षाओं में पढ़ाई रोक सकते हैं।

तीसरा कदम:

- 1098 चाइल्डलाइन पर कॉल करें (24/7 निःशुल्क)।
- बताएं: "स्कूल की छत लटक रही है। खेल मैदान खतरनाक है। शौचालय नहीं हैं।" टीम कुछ दिनों में निरीक्षण करती है।

चौथा कदम:

- DLSA में शिकायत दर्ज कराएं।
- वकील विधिक नोटिस भेजते हैं। तत्काल मरम्मत या कक्षा शिफ्ट करने की मांग करते हैं।

Step 5: If an Injury Occurs

- Go to a Government Hospital (free treatment available).
- File a police complaint under the Juvenile Justice Act / Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Conclusion

Unsafe school infrastructure can cost not only dreams but also lives. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 provides for safe school buildings. You have the right to a safe roof, clean toilets, and a level playground.

- RSLSA/DLSA fights for safe schools through PILs, legal notices, and children's complaints.
- Your life is more important.
- Demand a safe school.
- Call 1098 anytime. The 1098 Childline provides immediate assistance. RSLSA protects your right to safe education.

Emergency Contact Numbers

- Police Emergency: 100, 112
- Child Helpline: 1098 (24/7 Toll-Free)
- RSLSA Helpline: 15100, 9928900900

पाँचवाँ कदम: यदि चोट लग जाए

- सरकारी अस्पताल जाएं (निःशुल्क इलाज)।
- JJ Act/BNS के तहत पुलिस शिकायत दर्ज कराएं।

निष्कर्ष

असुरक्षित स्कूल अवसंरचना सपनों के साथ-साथ जान भी ले सकती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 सुरक्षित इमारतों का प्रावधान करता है। आपको सुरक्षित छत, साफ शौचालय और समतल खेल मैदान का अधिकार है।

- RSLSA सुरक्षित स्कूलों के लिए PIL, कानूनी नोटिस और बच्चों की शिकायतों के माध्यम से लड़ता है।
- आपका जीवन महत्वपूर्ण है।
- सुरक्षित स्कूल की मांग कीजिए।
- 1098 पर कभी भी कॉल करें। 1098 चाइल्डलाइन तुरंत मदद करती है। RSLSA आपके सुरक्षित शिक्षा के अधिकार की रक्षा करता है।

आपातकालीन संपर्क नंबर

- पुलिस आपातकाल: 100, 112
- चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098 (24/7 निःशुल्क)
- RSLSA हेल्पलाइन: 15100, 9928900900

Notes

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Rajasthan High Court Campus, Jaipur Bench
Vidhik Seva Sadan, Vidhik Seva Marg, C-Scheme, Jaipur
Phone No. : 0141-2227481, FAX: 2227602
Toll Free Help Line 15100/9928900900
Email: rslsajp@gmail.com, website: http://rajasthan.nalsa.gov.in